नगर निगम सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन

रतलाम। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा नगर निगम सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यगणों पर हुई एफआईआर एवं जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में रतलाम सिटी तहसीलदार गोपाल सोनी को ज्ञापन देकर सदस्यों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव शैलेंद्र मेहना जिला अध्यक्ष अमर गिरजे, नगर अध्यक्ष लोकेश डिंडोरे, जिला संयोजक निर्मल हडे, ब्रजमोहन खरे, चंदन तंवर चंदन निगम, नगर महामंत्री निक्की गिरजे, दीपक रील, प्रवीण पारोचे, विनय भाटी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

राज एक्सप्रेस 29/12/21

सफाईकर्मियों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिले

रतलाम | निगम के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मप्र अजाक्स का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिला। कर्मचारियों के नियमितीकरण साथ ही कर्मचारियों को एफआईआर के संबंध में चर्चा की और मांग की कि इन कर्मचारियों के साथ सद्भाव रखकर समस्याओं का हल किया जाए। अजाक्स के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर लश्करी के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में ऑडिटर राकेश बोरिया, सलाहकार लखन सिंह टैगोर, यशवंत पथरोड सहित अन्य मौजूद रहे। भास्कर

दै. भास्कर 29/12/21

विरियाखेड़ी में चार कबाड़ गोडाउन पर चली जेसीबी, चार ने खुद हटाए

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कबाड़ और ज्वलनशील पदार्थों के संग्रहण वाहनों गोदामों पर की जा रही सरकारी कार्रवाई से कबाड़ियों और व्यवसायियों में हड़कंप है।

मंगलवार को नगर निगम की जेसीबी का पंजा बिरियाखेड़ी के चार गोडाउन पर चला। इसमें मोहम्मद यूसुफ-मोहम्मद रफीक, शांतिलाल-बुद्धाजी, अब्दुल शकुर-नाहर शाह, बानो बी-मोहम्मद शेख के गोडाउन को तोड़ दिया। इसे देख बिरियाखेड़ी के एक गोडाउन वाले और मोहन नगर पटरी के पास तीन कबाड़ियों ने खुद ही सामान समेट कर गोडाउन हटा लिए। कार्रवाई होती देख विरियाखेड़ी के मुबारिक खान और मोहन नगर के कबाड़ी निसार व दो अन्य ने अपने गोड़ाउन खुद हटा लिए।

सख्ती : नगर निगम का अमला 10 से ज्यादा जगह कर चुका है कार्रवाई

विरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम का ढांचा तोड़ती जेसीबी।

95 को थमाए थे नोटिस, इनमें 28 बड़े और बाकी छोटी दुकान वाले

मोहन नगर और लक्कड़पीठा में हुई आगजनी की घटना के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के 95 व्यवसायियों को भंडारण व गोडाउन हटाने के नोटिस जारी किए थे। इनमें कबाड़ सेंटर, प्लास्टिक व उससे बनी सामग्री, लकड़ी, तेल, ऑइल, डीजल, गैस सिलेंडर व अन्य खतरनाक वस्तुओं की दुकान व गोडाउन वाले शामिल है। इसमें भी 28 बड़े कारोबारी, जबकि बाकी छोटे दुकानदार थे। निगम की कार्रवाई के बाद सुभाषनगर, हाट रोड, बिरियाखेड़ी के 35 से ज्यादा दुकान वालों ने खुद सामान समेट लिया है। वहीं निगम अब तक 10 से ज्यादा को तोड़ चुका है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कार्रवाई लगातार चलेगी। नोटिस के बाद भी जिन व्यापारियों ने गोडाउन नहीं हटाए है। उन्हें निगम तोड़ेगा साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

भास्कर

दै. भास्कर 29/12/21

ज्वलनशील पदार्थों के चार गोदाम निगम ने हटाए

रतलाम। ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम, दुकानें शहर सीमा से बाहर शिफ्ट कराने की मुहिम में मंगलवार को निगम, राजस्व व पुलिस विभाग के अमले ने बिरियाखेड़ी, मोहनगर नें कार्रवाई कर चार गोदाम हटाए। इस दौरान कबाड़ दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन कार्रवाई जारी रही।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत के निर्देशन में विरियाखेड़ी से मोहम्मद युसुफ-मोहम्मद रफीक, शांतिलाल-बुद्धाजी, अब्दुल शकुर-नाहर शाह, बानो बी-मोहम्मद शेख के गोदाम हटाए गए। इस दौरान मुबारिक खान-शकीर खान ने अपना गोदाम स्वंय हटा लिया। इसी तरह मोहन नगर क्षेत्र में निसार व 2 अन्य दुकानदारों ने अपने गोदाम स्वयं हटा लिए।

इस दौरान मोहन नगर में दुकान संचालकों ने विरोध भी किया और समानरूप से कार्रवाई की बात कही। शाम को संचालक व कबाड़ व्यापारी शहर विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पर भी पहुंचे, जहां एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने उन्हें कार्रवाई नियमानुसार होने की समझाइश देकर वापस भेजा।

मालूम हो कि शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना दोबारा न हो, इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर में कबाड़ सेंटर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलिंडर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोदाम व दुकानें हटाने के लिए 67 दुकानदारों, संचालकों को नोटिस जारी किए है।

दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुहिम में विशेषकर ऐसे कबाड़ा व ज्वलनशील पदार्थों के व्यवसायी जिन्होंने शासकीय भूमि पर गोदाम बनाकर कब्जा किया हुआ है, उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने बताया कि संबंधित दुकानदार, संचालक तत्काल अपने गोदाम हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत निर्माण हटाकर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नई.

नईदुनिया 29/12/21

मौसम ने ली करवट : सर्द हवा के साथ बूंदाबांदी, अलाव का सहारा

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

जिले में दिसम्बर में मौसम ने दूसरी बार करवट ली है। मंगलवार की शुरूआत बारिश के साथ हुई और आसमान पर बादलों का इतना घना डेरा था कि सूरज की किरणें जमीन का स्पर्श नहीं कर सकी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पूरी तरह सटिक साबित हुआ।

मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली और सुबह जब लोग जागे तो हल्की बारिश होती मिली, जिला मुख्यालय में भी हल्की बारिश हुई। वहीं कई गांवों में तेज बारिश की सूचना है। जब आसमान से बादल छंटेंगे तो ठंड का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। मौसम के करवट लेने से इस समय गेहूं और चने की फसल को काफी लाभ होगा। वहीं सब्जियों का तब तक ही फायदा है जब तक तापमान नहीं गिरा है।

अगले 24 घंटे ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम बारिश करा रहा है और दक्षिण पूर्वी हवा ठंड को बढ़ा रही है। जिले के जावरा क्षेत्र में थोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सुबह बारिश हुई। वही, सुबह से ही सर्द हवाओं की वजह से तापमान कम हो गया है। जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से कम होकर 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। दोपहर तक धूप नहीं निकलने के कारण दिन का तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में हल्की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उज्जैन संभाग के मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों में दो-तीन दिनों तक सर्द मौसम बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं।

तापमान में गिरावट, लोग घर में भी ठिठुरने पर हुए मजबूर

अलाव के सहारे ठंड भगाने के लिए करते रहे जतन

सर्दी के इस सीजन में मंगलवार को न्यूनतम तापमान में जबदस्त गिरावट हुई। तापमान लुढ़ककर 9 डिसे पर पहुंच गया, जो कि इस सीजन में अब तक का सबसे कम है। इससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का अहसास हुआ। दिनभर कई लोग अलाव के सहारे ठंड भगाने का जतन करते रहे। इसके साथ ही, पौधों पर भी ओस जमने लगी। साथ ही, फसल को भी पाला पड़ने से नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अधिक सर्दी में लोगों को सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में सर्द हवाएं चलने के साथ सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि दिन में धूप निकलने के साथ ही सर्दी से कुछ हद तक राहत मिल जाती है, लेकिन दो दिन से चल रही शीतलहर के कारण लोगों को घर में भी ठिठुरकर रहना पड़ रहा है। ऐसे में तापमान में गिरावट होने से लोगों की ठिठुरन बढ़ गई है। बताते हैं कि कश्मीर में बर्फ पिघलने के बाद उत्तर भारत में सीधी सर्द हवा आ रही है। हिमालय की तराई में या आसपास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो यह ठंडी हवा आने से रोक सके। हिंद महासागर एवं उससे सटे दक्षित भारत के इलाकों में साइक्लोनिक स्टार्म बना है। इसके कारण हवा बिना रुके यहां पहुंच रही है। यही वजह है कि जिले में सर्दी का असर बढ़ गया है।

पाला पड़े, तो इस तरह करें फसल का बचाव

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जब भी पाला पड़ने की संभावना हो या मौसम पूवार्नुमान विभाग से पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई दे देनी चाहिए। जिससे तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, सिंचाई करने से 0.5 - 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती हैं। कृषि वैज्ञानिकों की मानें, तो पाले से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है। नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अन्दर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जिससे सतह का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे पाले से बच जाते हैं। पॉलीथीन की जगह पर पुआल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों का दक्षिण पूर्वी भाग खुला रहे ताकि पौधों को सुबह व दोपहर को धूप मिलती रहे। अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए आप अपने खेत में धुंआ पैदा कर दें, जिससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता और पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 28 दिसम्बर को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर भगवानलाल जीपीओ रोड पर 1000, महेश, अजय जीपीओ रोड पर 100-100, राकेश, दिलीप जीपीओ रोड पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 20 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम। सर्द रातों में नागरिको की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, बाजना बस स्टैण्ड, सैलाना बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मुखर्जी नगर, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, गौशाला रोड पेयजल टंकी, ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहो पर गत रात्रि अलावा जलाये गये। प्रसारण

प्रसारण 29/12/21

98 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को 98 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 29185, ट्रैक्टर-ट्राली से 16720, काम्पेक्टर सूखा कचरा 20095, काम्पेक्टर गीला कचरा 117785, जलकुंभी ट्रैक्टर 9450, निजी ट्रैक्टर 5385 कुल 98620 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

6575 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। मंगलवार तक 6575 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

मास्क नहीं लगाने वाले 20 लोगों से जुर्माना वसूला

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर भगवानलाल जीपीओ रोड से 1000, महेश, अजय जीपीओ रोड से 100-100, राकेश, दिलीप जीपीओ रोड से 50-50 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल द्वारा ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश दी। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 20 व्यक्तियों से जुर्माना वसूलकर मास्क लगाने की समझाइश दी गई।

नईदुनिया 29/12/21

बंजली हवाई पट्टी से उड़ेंगे छोटे एयरक्राफ्ट

ट्रेनिंग सेंटर शुरू होगा ● लीज पर लेने वाली फर्म ने बनाया साइट प्लान, स्वीकृत की प्रक्रिया अंतिम दौर मे

रतलाम(नईदुनिया प्रतिनिधि)। बंजली स्थित हवाई पट्टी के विस्तार व एयरपोर्ट बनाए जाने की योजना के साथ ही यहां निजी फर्म ने ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। विमानन विभाग से मिले पत्र के बाद लोक निर्माण विभाग से साइट प्लान स्वीकृत करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। सबकुछ समय पर हुआ तो फरवरी माह के पहले सप्ताह तक फर्म अपनी गतिविधियां शुरू कर देगी।

मालूम हो कि हवाई सेवाओं व गतिविधियों को लेकर बंजली हवाई पट्टी के उपयोग के लिए शासन से मैसर्स इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सेल्स प्रालि भोपाल को अधिकृत किया है। फर्म हवाई पट्टी पर छोटे एयरक्राफ्ट के जरिये विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देगी। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। वर्ष 2018 में शुरू हुई इस कवायद पर 2020 में ही काम पूरा होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते देरी होती गई।

इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सेल्स से मिले साइट प्लान को विमानन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति, संशोधन के लिए भेजा है। लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय से प्लान को स्वीकृति मिल चुकी है। स्थानीय स्तर पर इसे अनुमोदित कर अब लोनिवि के भोपाल स्थित एपीडी शाखा को भेजा जाएगा। इसके बाद स्वीकृति मिलते ही फर्म अपना काम शुरू कर देगी। मंगलवार को फर्म के अधिकारी अशोक सिंह ने रतलाम में प्रशासकीय व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलकर प्रक्रिया पूरी करने पर चर्चा की।

फर्म द्वारा पहले चरण में चार छोटे एयरक्राफ्ट लाने की तैयारी की गई है। इसके लिए बंजली हवाई पट्टी पर हैंगर के निर्माण के साथ ही ट्रेनिंग के लिए भवन, टर्मिनल व पार्किंग भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही हवाई पट्टी पर अन्य जरूरी सुधार भी किए जाएंगे। भाई.

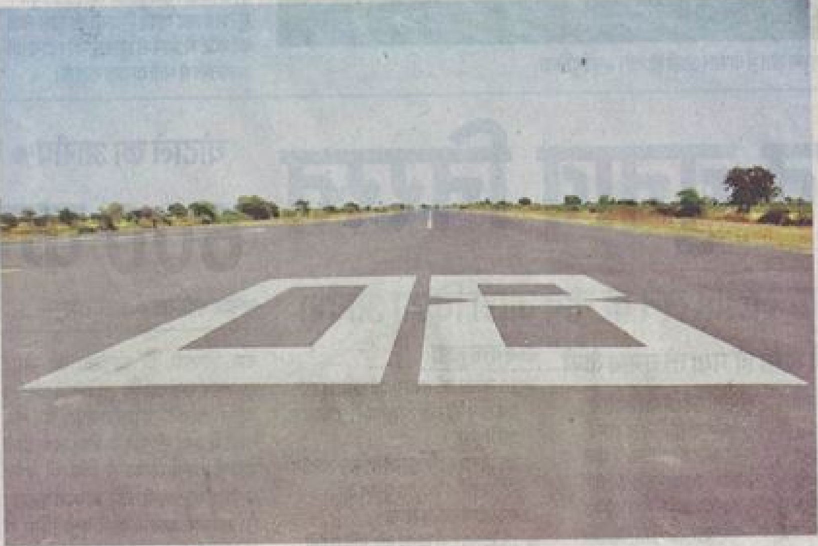

बंजली हवाई पट्टी, जहां निजी फर्म ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेगी। ●नईदुनिया

शासन स्तर पर भी विस्तार का प्रस्ताव

इधर बंजली हवाई पट्टी पर बड़े विमानों का संचालन करने के लिए शासन स्तर से हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा 1200 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 1800 मीटर करना पड़ेगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से निरीक्षण भी किया जा चुका है। रतलाम में ट्रेनिंग सेंटर खुलने व एयर सर्किल बनने से आसपास के जिलों के लोगों को भी फायदा होगा। लोनिवि द्वारा अभी हवाई पट्टी के दोनों ओ[र] बाउंड्रीवाल निर्माण भी करवाया जा रहा है

"बंजली हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग सेंटर व अन्य गतिविधियों के लिए साइट प्लान तैयार किया है। विमान विभाग से पत्र मिला है। विभागीय स्तर प[र] भी हवाई पट्टी पर बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाया जा रहा है। **– अनुरागसिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग**

घरेलू विमान सेवा परिचालन के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प[त्र] सौंप जानकारी दी थी। हवाई पट्टी पर ट्रे[निंग] सेंटर शुरू होने से रतलाम व आसपास [के] जिलों के लोगों को भी लाभ होगा।
– चेतन्य काश्यप, विधायक, रतलाम श[हर]

नईदुनिया 29/12/21

शहर से लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कबाड़ और ज्वलंतशील सामग्री की दुकानें हटाईं

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर रतलाम शहर में लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कबाड़ तथा अन्य सामग्री की दुकानों भंडारण को नगर सीमा से निगम सीमा से बाहर करने के लिए मुहिम सोमवार को भी जारी रही। सोमवार को पांच दुकानों, भंडारण पर कार्रवाई की गई। बगैर अनुमति बनाए गए शेड तोड़े गए, कबाड़ सामग्री अन्यत्र पहुंचाई गई। शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि काटजू नगर में सोमवार को तीन कबाड़ दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहां खाली करवाने की कार्रवाई पश्चात बाउंड्रीवाल बनवाई जा रही है। इसके अलावा सैलाना बस स्टैंड के पीछे राजबाई जिनिंग क्षेत्र की दो दुकानों पर कार्रवाई की गई। श्री गहलोत ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मंगलवार को दीनदयाल नगर और औद्योगिक क्षेत्र थाना एरिया में कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात माणकचौक और स्टेशन रोड पर कार्रवाई होगी।

राज

राज एक्सप्रेस 29/12/21

शहर में ज्वलनशील पदार्थ का कबाड़ रखने वाले उतरे मैदान में

दिन में बिरियाखेड़ी, शाम को विधायक कार्यालय पर विरोध

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ रखने वालों से शहर को बचाने अभियान कलेक्टर के निर्देश पर शुरू हु ़ा है। अब जो लोग शहर को कबाड़ मे तब्दील करने पर तुले है, वे अभियान के विरोध में प्रदर्शन की शुरुआत मंगलवार से कर दिए है। पहले विरियाखेड़ी में प्रदर्शन कर कबाड़ हटाने वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया तो शाम को धारा 144 तोड़कर शहर विधायक चेतन्य के सामने नाराज होकर कबाड़ एकत्रित करने वाली महिलाएं एवं गोदाम संचालकों ने अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने वाले धारा 144 तोड़कर, मुंह पर मास्क लगाए बगैर भीड़ के रुप में विधायक काश्यप के निवास पर पहुंचकर नाराजी प्रशासन के खिलाफ जताई।

मंगलवार को विरियाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एकत्र हो गई और उन्होंने विरोध जताया। सूचना पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम गेहलोत के साथ नगर पुलिस अधिक्षक हेमंत चौहान पहुंचे तो इनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद ही सभी लोग भीड़ के रुप में विधायक कार्यालय गए। यहां पर एसडीएम गेहलोत पहुंचे तब उनसे कबाड़ गोदाम संचालकों ने कहा कि उनके लिए भी स्थान दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने रहवासी क्षेत्र से बाहर गोदाम बनाने की समझाइश दी। पत्रिका

काश्यप के कार्योलय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया।

दोपहर में विरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान अधिकारियों

पत्रिका 29/12/21

जनसुनवाई में 32 आवेदनों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश

पति की मौत पर 20 हजार की आर्थिक सहायता भी नहीं मिली

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कलेक्टर कार्यालय सभागार में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान 32 लोगों ने शिकायत आवेदन प्रस्तुत किए। इन शिकायतों की सुनवाई कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा की गई और संबंधित विभाग के अधिकारी को निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में ग्राम भाटी बड़ौदिया निवासी लीलाबाई ने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थिया की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। पति का देहान्त होने के उपरांत प्रार्थिया को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी जो आज तक उसे नहीं मिल पाई है। अतः तत्काल सहायता राशि दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

ग्राम धराड निवासी ईश्वरलाल परमार ने बताया कि वह आदिवासी समाज से होकर विगत 28 वर्षों से नगरा रोड धराड पर कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहा है। साथ ही कई परिवार भी वार्ड नं. 1 में कच्चे मकान में निवासरत हैं जिनके पास पट्टा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री योजना के तहत सभी को पट्टा आवंटि किया जाए।

नामान्तरण तथा बंटवारा नहीं हो पाया

रोशन धानुका निवासी धराड़ ने बताया कि उसकी भूमि ग्राम धराड़ में स्थित है तथा उसके माता-पिता का देहान्त हो चुका है भूमि के नामान्तरण तथा बंटवा के लिए एक वर्ष पूर्व लोक सेव केन्द्र में आवेदन दिया था, आज दिनांक तक नामान्तरण तथ बंटवारा नहीं हो पाया है। पटवार से बात करने पर वह टालमटोल करते रहते हैं।

पत्रिका 29/12/21

जनसुनवाई में 32 आवेदनों के निराकरण के निर्देश

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद, मनीषा वास्कले द्वारा 32 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ग्राम भाटी बड़ोदिया निवासी लीलाबाई पत्नी स्व. रतनलाल ने आवेदन देते हुए बताया कि पति की मृत्यु के बाद 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज तक राशि नहीं मिली।

नईदुनिया 29/12/21

32 आवेदन आए जनसुनवाई में, कार्रवाई के दिए आदेश

रतलाम | मंगलवार को कलेक्टोरेट में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई 32 आवेदन आए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों से समस्या की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितो को समय पर न्याय दिलवाने और उन्हें परेशान करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

दै.भास्कर 29/12/21

मौसम ने ली करवट : सर्द हवा के साथ बूंदाबांदी, अलाव का सहारा

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

जिले में दिसम्बर में मौसम ने दूसरी बार करवट ली है। मंगलवार की शुरूआत बारिश के साथ हुई और आसमान पर बादलों का इतना घना डेरा था कि सूरज की किरणें जमीन का स्पर्श नहीं कर सकी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पूरी तरह सटिक साबित हुआ।

मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली और सुबह जब लोग जागे तो हल्की बारिश होती मिली, जिला मुख्यालय में भी हल्की बारिश हुई। वहीं कई गांवों में तेज बारिश की सूचना है। जब आसमान से बादल छंटेंगे तो ठंड का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। मौसम के करवट लेने से इस समय गेहूं और चने की फसल को काफी लाभ होगा। वहीं सब्जियों का तब तक ही फायदा है जब तक तापमान नहीं गिरा है।

अगले 24 घंटे ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम बारिश करा रहा है और दक्षिण पूर्वी हवा ठंड को बढ़ा रही है। जिले के जावरा क्षेत्र में थोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सुबह बारिश हुई। वही, सुबह से ही सर्द हवाओं की वजह से तापमान कम हो गया है। जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से कम होकर 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। दोपहर तक धूप नहीं निकलने के कारण दिन का तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में हल्की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उज्जैन संभाग के मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों में दो-तीन दिनों तक सर्द मौसम बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं।

तापमान में गिरावट, लोग घर में भी ठिठुरने पर हुए मजबूर

अलाव के सहारे ठंड भगाने के लिए करते रहे जतन

सर्दी के इस सीजन में मंगलवार को न्यूनतम तापमान में जबदस्त गिरावट हुई। तापमान लुढ़ककर 9 डिसे पर पहुंच गया, जो कि इस सीजन में अब तक का सबसे कम है। इससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का अहसास हुआ। दिनभर कई लोग अलाव के सहारे ठंड भगाने का जतन करते रहे। इसके साथ ही, पौधों पर भी ओस जमने लगी। साथ ही, फसल को भी पाला पड़ने से नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अधिक सर्दी में लोगों को सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में सर्द हवाएं चलने के साथ सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि दिन में धूप निकलने के साथ ही सर्दी से कुछ हद तक राहत मिल जाती है, लेकिन दो दिन से चल रही शीतलहर के कारण लोगों को घर में भी ठिठुरकर रहना पड़ रहा है। ऐसे में तापमान में गिरावट होने से लोगों की ठिठुरन बढ़ गई है। बताते हैं कि कश्मीर में बर्फ पिघलने के बाद उत्तर भारत में सीधी सर्द हवा आ रही है। हिमालय की तराई में या आसपास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो यह ठंडी हवा आने से रोक सके। हिंद महासागर एवं उससे सटे दक्षित भारत के इलाकों में साइक्लोनिक स्टार्म बना है। इसके कारण हवा बिना रुके यहां पहुंच रही है। यही वजह है कि जिले में सर्दी का असर बढ़ गया है।

पाला पड़े, तो इस तरह करें फसल का बचाव

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जब भी पाला पड़ने की संभावना हो या मौसम पूवार्नुमान विभाग से पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई दे देनी चाहिए। जिससे तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, सिंचाई करने से 0.5 - 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती हैं। कृषि वैज्ञानिकों की मानें, तो पाले से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है। नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अन्दर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जिससे सतह का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे पाले से बच जाते हैं। पॉलीथीन की जगह पर पुआल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों का दक्षिण पूर्वी भाग खुला रहे ताकि पौधों को सुबह व दोपहर को धूप मिलती रहे। अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए आप अपने खेत में धुंआ पैदा कर दें, जिससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता और पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है।

दबंग दुनिया 29/12/12

जनसुनवाई में 32 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित दिए

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद, सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा 32 प्रकरणो की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम भाटी बडोदिया निवासी श्रीमती लीलाबाई पति स्व. रतनलाल ने आवेदन देते हुए बताया कि मेरे पति की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थिया की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। पति का देहान्त होने के उपरांत प्रार्थिया को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी परन्तु आज दिनांक तक उक्त राशि प्रार्थिया को नही मिल पाई है। अतः तत्काल सहायता राशि दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

ग्राम धराड वार्ड क्र. 1 निवासी ईश्वरलाल परमार ने जनसुनवाई में आवेदन में बताया कि प्रार्थी आदिवासी समाज से होकर विगत 28 वर्षों से नगरा रोड धराड पर कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहा है। साथ ही कई परिवार भी वार्ड नं. 1 में कच्चे मकान में निवासरत है जिनके पास पट्टा नही है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री योजना के तहत सभी को पट्टा आवंटित किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है। रोशन पिता रतनलाल धानुका निवासी धराड ने बताया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम धराड में स्थित है तथा प्रार्थी के माता-पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी ने भूमि के नामान्तरण तथा बंटवारे के लिए एक वर्ष पूर्व लोक सेवा केन्द्र में आवेदन दिया था परन्तु आज दिनांक तक नामान्तरण तथा बंटवारा नही हो पाया है। पटवारी से बात करने पर वह टालमटोल करते रहते है। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपना गुजर-बसर कर रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। गांव के ही कुछ लोगों द्वारा प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है, उसके बदले में मुझे ना तो अनाज दिया जाता है और ना ही रुपए दिए जाते हैं। अतः प्रार्थी को भूमि का नामान्तरण करके पावती व भूमि का कब्जा दिलवाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है। प्रसारण

प्रसारण २७/१२/२१

अवैध निर्माण पर दंड देने की बनाई निगम ने योजना

अवैध निर्माण पर अधिकारियों को क्लीन चिट

पत्रिका

एक्सक्लूसिव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में अवैध कॉलोनियों, विभिन्न निर्माण पर बीते तीन माह में नगर निगम ने कई कार्रवाई की है। कॉलोनियों में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, आर्थिक दंड लगाया है व अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इन मामलों में जिन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में यह सब अवैध निर्माण हुआ उनको नगर निगम आयुक्त ने क्लीन चीट दे दी है, हालाकि अब कोई निर्माण होगा तो उसके लिए वार्ड के प्रभारी सहित अन्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

शहर में अवैध कॉलोनियों व अन्य मंजूरी बगैर निर्माण के खिलाफ कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के सख्त निर्देश के बाद निगम ने मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की थी। अब निगम ने इससे आगे बढ़कर मंजूरी के बगैर निर्माण पाए जाने पर वार्ड के उपयंत्री, प्रभारी सहित अन्य अधिकारी को जवाबदार मानने व दंड देने की तैयारी कर ली है। ऐसे में बीते दो वर्ष से अधिक समय से पदस्थ वे अधिकारी जिनकी मंजूरी से ही कॉलोनियों में गड़बड़ हुई, उपयंत्री जिनको हर एक पखवाड़ा में रिपोर्ट देना होती है, सभी को एक लाइन में क्लीन चीट दे दी गई है।

सोनी को दी जिम्मेदारी

शहर में ऑन लाईन भवन अनुज्ञा प्रदान करने के काम में सभी वार्डों के उपयंत्रियों को भवन निरीक्षक तथा प्रभारी सहायक यंत्री श्याम सोनी को भवन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आयुक्त देखेंगे काम

शहर में अवैध व भवन निर्माण अनुमति के विपरित निर्माण पाये जाने पर वार्ड उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री की जवाबदेही तय की जाएगी। इस मामले में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए अब तक हुए निर्माण में कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं होगी, लेकिन नए निर्माण में जवाबदेही तय करते हुए निगम आयुक्त झारिया ने आदेश जारी किया है कि भविष्य में भवन अनुज्ञा तथा अवैध निर्माण से संबंधी सिर्फ वो ही प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे जिनमें निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार आयुक्त की स्वीकृति जरूरी होगी।

निष्ठा से नहीं कर रहे काम

नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण या दी गयी भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण होने की शिकायतें लगातार आती रहती है। इससे यह साफ हो रहा है कि वार्डों के उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अपने कर्तव्य का पालन कर्तव्य निष्ठा से नहीं कर रहे है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता है। अब अवैध निर्माण हुआ तो जिम्मेदारी इनकी ही रहेगी।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका

पत्रिका 29/12/21

कबाड़ गोदाम और कोल डिपो हटाया

रतलाम, नप्र। लक्कड़पीठा और मोहननगर जैसी आगजनी को देखते हुए कलेक्टर ने तय किया हैं कि शहर में ऐसे कोई गोदाम या दुकान ना हो जहां ज्वलनशील पदार्थ के अलावा ऐसा कोई सामान हो जिससे आगजनी जैसी घटना हो सकें। ऐसे गोदामों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

इसी के चलते शहर से कबाड़ों के गोदाम को हटाया जा रहा है। हाटरोड और वेदव्यास कॉलोनी के रास्ते पर हुई कार्रवाई के बाद कल काटजू नगर जैन मंदिर के पीछे और सैलाना बसस्टेंड के पीछे राजबाई की जीन बावडी पर कब्जा तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने कल सैलाना बस स्टेंड के पीछे राजबाई जीन बावडी से कबाड़ के गोदाम को हटाया। इसी क्षेत्र में एक कोल डिपो पर अमले ने कार्रवाई कर गोल डिपो से बड़ी मात्रा में रखे कोयले को जब्ती में लिया। पावर हाउस रोड पर भी एक लकडी की दुकान को नोटिस जारी किया था जिस पर दुकानदार ने खुद ही अपना गोदाम हटा लिया। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम ने कबाड़े की दुकाने, प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक से बनी सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलंडर एवं अन्य खतरनाक खतरनाक वस्तुओं के गोदाम व दुकानों को हटाए जाने के लिए नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी गोदाम और दुकानों से ज्वलनशील पदार्थ और सामान नहीं हटाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर अतिक्रमण टीम तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। तोड़फोड़ करने पर नगर निगम 15 हजार प्रति घंटे के मान से राशि भी वसूल करेगी।

प्रभात किरण 24/12/21

विधायक काश्यप के निवास पर पहुंचे कबाड़ बिनने वाले, एसडीएम ने समझाइश देकर लौटाया

रतलाम। शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बीच मंगलवार को जमकर विरोध देखा गया। बिरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान अधिकारियों के सामने विरोध जताने के बाद आक्रोशित कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एवं गोदाम संचालक स्टेशन रोड स्थित विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पहुंचे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जिला प्रशासन के कारण वह रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। एसडीएम की समझाइश के बाद महिलाएं और गोदाम संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मोहननगर क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था। शुरुआत हाट रोड स्थित कबाड़ दुकान हटाने के बाद मंगलवार को बिरियाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एकत्र हो गई और उन्होंने विरोध जताया। सूचना पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया एवं सीएसपी हेमंत चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं और गोदाम संचालक सहित उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में स्टेशन रोड विधायक निवास पहुंचे। विधायक काश्यप से मिलकर समस्या को अवगत कराने की जिद पर अड़े रहने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर एसडीएम गेहलोत पहुंचे तब उनसे कबाड़ गोदाम संचालकों ने कहा कि जैसे गोल्ड कॉम्पलेक्स बनाकर सराफा व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाएगा उसी तरह उन्हें भी निश्चित स्थान दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने रिहायशी इलाके से बाहर गोदाम बनाने की समझाइश दी।

इन्दौर समाचार 29/12/21

कब्जे तोड़ते रहेंगे- कलेक्टर

रतलाम, नप्र। शहर में होने वाले अवैध निर्माण कार्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। सरपंचों की गड़बड़ियां पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें, यदि जवाब संतोषजनक नही मिले तो जेल भेज दें।

ये निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे खासतौर पर ध्यान दें कि उनके विभाग अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में या कहीं पर भी भवन जर्जर हालत में ना हो। यदि कहीं भी जर्जर भवन गिरता है और उससे कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार संबंधित विभाग का अधिकारी होगा। सहकारी बैंक प्रबंधक आलोक जैन को कहा कि वे तय करें कि सहकारी समितियों में अनियमितता या गड़बड़ ना हो। जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की कार्य योजना तैयार की जाए। अस्पताल के औचक निरीक्षण में बीस डाक्टरों के दस्तखत नहीं होने पर कलेक्टर ने सभी डाक्टरों को शोकॉज नोटिस जारी करने को कहा है।

प्रभात किरण 24/12/21

कॉलोनियों की खेती • बिना अनुमति और डवलपमेंट किए बेच डाले सारे प्लॉट, सात दिन में देना है रिपोर्ट

सैलाना में 13 कॉलोनियां अवैध, इनमें 2 पूर्व विधायक चारेल व उनके पति की भी शामिल

सैलाना सीएमओ और तहसीलदार की टीम ने शुरू की जांच

भास्कर संवाददाता | रतलाम/सैलाना

अवैध कॉलोनियों विकसित करने के मामले में सैलाना के रसूखदार भूमाफिया ने शहर के कॉलोनाइजरों को पीछे छोड़ दिया है। शुरुआती जांच में सैलाना में 13 अवैध कॉलोनियां का खुलासा हुआ है। इनमें से दो अवैध कॉलोनी पूर्व विधायक संगीता चारेल, उनके पति विजय चारेल और एक समाजसेवी व उद्योगपति भूरामल तांतेड़ की है। लगभग सारी बिना प्रशासन और नगर परिषद की अनुमति लिए विकसित की है।

बड़ी बात यह कि सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किए बिना जमीन मालिक ने कॉलोनाइजर बनकर लगभग सारे प्लॉट बेच डाले। कई भूखंडों पर मकान बन चुके हैं। कलेक्टर के आदेश पर इन कॉलोनियों पर कार्रवाई करने दो अधिकारी की टीम बन गई है। इसमें नगर परिषद सीएमओ आरती गरवाल और तहसीलदार आनंद जायसवाल शामिल हैं।

शहर में ठंडी पड़ी मुहिम : 17 कॉलोनाइजर व प्लॉट मालिकों पर एफआईआर, गिरफ्तार एक भी नहीं

भीलों की खेड़ी क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनी में मकान बन रहे हैं।

दो माह तक चली कार्रवाई के बाद शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुहिम ठंडी होती दिख रही है। वह भी तब जब भक्तन की बावड़ी के सामने, 80 फीट रोड, सागोद रोड जयंतसेन धाम, ईंटावामाताजी और होमगार्ड कॉलोनी रोड की कॉलोनियों की शिकायतें अफसरों तक पहुंच चुकी है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक प्रशासन ने 9 अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीनों का अतिक्रमण तोड़ा था। 4 दिसंबर को छत्रीपुल की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के बाद प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है। नगर निगम ने दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दो बार में 17 कॉलोनाइजर और प्लॉट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कॉलोनाइजर पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाने की फिराक में है। तीन अग्रिम जमानत की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों को सरकारी जमीनों के अतिक्रमण की पड़ताल में जुटा है। जल्द अवैध कॉलोनियों के निर्माण और अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर चल सकता है।

सैलाना क्षेत्र की 13 अवैध कॉलोनियों की सूची, जिनकी जांच चल रही

- राखी पति सुरेश-655/1/1 0.440
- विजय पिता देवीसिंह चारेल एवं संगीता पति विजय चारेल-867/1/1, 867/1/2 0.240
- विजय पिता देवी सिंह चारेल एवं संगीता पति विजय चारेल-893/2/1/3, 893/2/3, 893/2/6 0.190, 0.200, 0.250
- भूरामल पिता शोभचंद तातेड़-860/1, 863/2 0.330, 0.530
- नारायण पिता उदा-893/2/1 0.150
- सावित्री बाई पति नारायण-893/1/1, 893/1/2 0.600
- ईश्वर पिता तुलसीराम-893/5/1/1/1 0.222
- मड़ी पति सुखलाल, शामा पति मोतीलाल-655/2/5 0.30
- मोहन पिता नरसिंह-655/2/4 0.180
- विरसिंह पिता जोरासिंह-893/2/8/1, 893/4/1 0.20 व 0.220
- शेखर-893/3, 893/2/7 0.213
- सपना पति विरसिंह खराड़ी-893/2/4 0.250
- कमलाबाई पति जीवनलाल-893/2/5 0.100

रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ जांच भी जारी है

प्रारंभिक जांच में 13 अवैध कॉलोनियों की जानकारी सामने आई है। रिकॉर्ड की पड़ताल करते हुए इनकी विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इसके लिए सीएमओ और तहसीलदार की टीम बनाई है। रिपोर्ट सात दिन में आ जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

कामिनी ठाकुर, एसडीएम सैलाना

दै. भास्कर 29/12/21

विधायक निवास के बाहर कबाड़ बिनने वालों का प्रदर्शन, भेदभावपूर्ण कार्रवई का आरोप

रतलाम। शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बीच मंगलवार को जमकर विरोध देखा गया। बिरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान अधिकारियों के सामने विरोध जताने के बाद आक्रोशित

▶ एसडीएम ने समझाइश देकर लौटाया

कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एवं गोदाम संचालक स्टेशन रोड स्थित विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पहुंचे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जिला प्रशासन के कारण वह रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। एसडीएम की समझाइश के बाद महिलाएं और गोदाम संचालकों ने ज्ञापन सौंपा।

बता दें कि मोहननगर क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था। शुरुआत हाट रोड स्थित कबाड़ दुकान हटाने के बाद मंगलवार को बिरियाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एकत्र हो गई और उन्होंने विरोध जताया। सूचना पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया एवं सीएसपी हेमंत चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद्र आक्रोशित महिलाएं और गोदाम संचालक सहित उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में स्टेशन रोड विधायक निवास पहुंचे। विधायक काश्यप से मिलकर समस्या को अवगत कराने की जिद पर अड़े रहने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर एसडीएम गेहलोत पहुंचे तब उनसे कबाड़ गोदाम संचालकों ने कहा कि जैसे गोल्ड कॉम्पलेक्स बनाकर सराफा व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाएगा,उसी तरह उन्हें भी निश्चित स्थान दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने रिहायशी इलाके से बाहर गोदाम बनाने की समझाइश दी। नवभारत

नवभारत २९/१२/२१

विधायक कार्यालय पहुंचे कबाड़ बीनने वाले, लगाई न्याय की गुहार

रतलाम। शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बीच मंगलवार को जमकर विरोध देखा गया। बिरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान अधिकारियों के सामने विरोध जताने के बाद आक्रोशित कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एवं गोदाम संचालक स्टेशन रोड स्थित विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पहुंचे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जिला प्रशासन के कारण वह रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। करीब दो घंटे तक लोग हंगामा करते रहे, इस बीच शहर विधायक चेतन्य काश्यप मंत्री मोहन यादव के साथ कार्यक्रम में व्यस्त थे। सूचना के बाद एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद महिलाएं और गोदाम संचालकों ने ज्ञापन सौंपा।

बता दें कि मोहननगर क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था। शुरुआत हाट रोड स्थित कबाड़ दुकान हटाने के बाद मंगलवार को बिरियाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एकत्र हो गई और उन्होंने विरोध जताया। सूचना पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया एवं सीएसपी हेमंत चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं और गोदाम संचालक सहित उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में स्टेशन रोड विधायक निवास पहुंचे। विधायक काश्यप से मिलकर समस्या को अवगत कराने की जिद पर अड़े रहने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर एसडीएम गेहलोत पहुंचे तब उनसे कबाड़ गोदाम संचालकों ने कहा कि जैसे गोल्ड कॉम्पलेक्स बनाकर सराफा व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाएगा उसी तरह उन्हें भी निश्चित स्थान दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने रिहायशी इलाके से बाहर गोदाम बनाने की समझाइश दी। रए

राज एक्सप्रेस २९/१२/२१

किशोर-किशोरियों का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से, सिर्फ को-वैक्सीन लगेगी

प्रदेश में फिलहाल नाइट कर्फ्यू ही, बाकी बंदिशों से अभी राहत

केन्द्र ने किया अलर्ट तो एक्शन में नजर आए सीएम शिवराज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मध्यप्रदेश में बढ़ते कदमों से चिंताएं बढ़ गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना व वैक्सीनेशन को लेकर बैठक की। इसमें तय किया गया कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू के अलावा प्रदेश में कोई अन्य पाबंदी नहीं लगेगी। हालांकि हर हफ्ते इसकी स्थिति का रिव्यु होगा, जिसके आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर अब सरकार ने 15-18 साल की उम्र के 48 लाख किशोर-किशोरियों के टीकाकरण का रोडमैप तैयार कर लिया है। प्रदेश में भी तीन जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा, जिसके लिए एक जनवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। करीब 17 हजार स्कूलों को सेंटर बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को वहां भी वैक्सीन लग सके। इसके लिए 12 हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ता जुटेंगे। रोजाना प्रत्येक स्कूल केंद्र पर 150 से 200 छात्र-छात्राओं को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। को-वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन बाद लगेगा।

पहला कदम कोरोना से निपटना

सीएम ने बैठक में तय किया कि भले ही अभी कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन व प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती की जाए। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।

टीनएजर्स को यूं-

48
लाख बच्चे 15-18 साल के प्रदेश में

17892
स्कूल में 36.8 लाख नामांकन, इन्हें वहीं वैक्सीन लगेगा

प्रदेश में 23991 बेड

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश में 23991 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 890 बेड सिर्फ बच्चों के लिए (पीआईसीयू बेड) के लिए होंगे।

स्थिति गंभीर नहीं, लेकिन सतर्क रहें

केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन पर राज्यों को अलर्ट करने की बैठक के बाद सीएम शिवराज राज्य स्तरीय बैठक कर एक्शन में आ गए। शिवराज ने कहा, नए रोगियों के आइसोलेशन और उपचार के समुचित प्रबंध किए जाएं। अभी स्थिति भले गंभीर नहीं है, लेकिन सतर्क रहें।

ये अहम निर्देश

- स्कूलों में 50% उपस्थिति की व्यवस्था ही अभी रहेगी।
- हेल्थ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और रोगग्रस्त बुजुर्गों को 10 जनवरी से प्रीकॉशन डोज।
- प्रदेश में 60 हजार टेस्ट औसतन रोजाना हो रहे, यह व्यवस्था कायम रहे।
- कोविड के केस व स्थिति अब हर दिन समीक्षा की जाए।

वैक्सीनेशन के लिए प्लान तैयार

सीएम ने 15-18 साल के किशोर-किशोरियों के लिए वैक्सीनेशन को भी प्राथमिकता से करना तय किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविड एप व कोविड प्रोर्टल पर होगा। वही वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकेगा। उनके लिए 9 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किए गए हैं, जिनमें स्कूल कार्ड भी शामिल रहेगा। इन्हें सिर्फ को-वैक्सीन ही लगाई जाएगी। बुजुर्गों के वैक्सिनेशन को भी गति दी जाएगी। 31 दिसंबर तक पात्र सौ फीसदी आबादी के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी पूरा करने कहा गया है।

पड़ोसी राज्यों पर भी नजर

इंदौर में नए वैरिएंट के मिलने के बाद से चिंता के हालात बने हुए हैं। अब सरकार ने इंदौर के अलावा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन सहित पड़ोसी राज्यों की सरहद से लगे जिलों को लेकर विशेष मानीटरिंग शुरू की है। वजह ये कि विदेश आए लोगों के इंदौर आने के बाद पूरे प्रदेश में कान्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसमें भोपाल, जबलपुर व ग्वालियर को लेकर भी चिंता की स्थिति है। इसी पर अभी सभी का फोकस है।

पत्रिका

पत्रिका । 29/12/21

कोरोना संक्रमण

15 दिन में रतलाम में कोरोना का चौथा मामला सामने आया

फॉलोअप

बूस्टर डोज लगने के बाद भी दुबई से आई महिला निकली कोरोना पॉजिटिव

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

कुवैत से आया 40 वर्षीय युवक निकला पॉजिटिव, परिवार के लिए सैंपल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से गति पकड़ रही है। बीते 5 दिनों के दौरान ही रतलाम में कोरोना का तीसरा नया मामला सामने आ गया है, वही बात, बीते 15 दिनों की करें तो यह चौथा मामला है। इन चार मरीजों में से एक अब तक एक डिस्चार्ज हुआ है जबकि 2 मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वही एक महिला को घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया है।

रतलाम में कोरोना का चौथा पॉजिटिव मरीज कुवैत से आया है। शहर के बोहरा बाखल स्थित बदरी कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय युवक की रिपोर्ट मंगलवार रात कोरोना पॉजिटिव आई है। युवक 25 दिसंबर को कुवैत से दिल्ली आया था और वहां से इंदौर गया था जिसके बाद इसी रात में वह कार के माध्यम से रतलाम पहुंचा था।

सूचना पर पहुंची टीम

युवक के विदेश से रतलाम आने की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अमले को मिलने पर उसकी कोविड जांच के लिए टीम सोमवार को घर पहुंची थी और सैंपल लिया था जिसके बाद मंगलवार देर शाम मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अमले ने युवक को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है।

रतलाम में बड़ा ओमिक्रॉन का खतरा

विदेश से रतलाम आए तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब रतलाम में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। रतलाम में दिसंबर माह में अब तक 4 चार लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें से तीन विदेश से आए हैं, ऐसे में इनके माध्यम से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है।

पत्रिका 29/12/21

एक और विदेशी यात्री की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव

रतलाम। एक के बाद एक विदेश से आने वाले लोगों की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आ रही है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी कुवेत से आए बद्री कालोनी बोहरा बाखल के 40 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आई। जिला महामारी नियंत्रक डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि उक्त युवक 25 दिसंबर की देर रात रतलाम आया था। 27 दिसंबर को उसका सैंपल लिया गया और 28 दिसंबर को रिपोर्ट पाजिटिव आई। युवक को मेडिकल कालेज में भर्ती कराकर ओमिक्रोन की जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया है।

नईदुनिया 29/12/21

बिरियाखेड़ी पर कबाड़ गोदाम हटाने की कार्रवाई में संचालकों और परिजनों ने किया हंगामा

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

शहर से हानिकारक और ज्वलनशील व्यवसायों को नगर निगम सीमा से बाहर करने की कार्रवाई मंगलवार को भी चली। इस दौरान बिरियाखेड़ी पर कबाड़ गोदाम हटाने पहुंची टीम के साथ संचालकों और परिजनों ने बहस करते हुए काम बाधित किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर शहर से ज्वलनशील और हानिकारण व्यवसायों को बाहर करने के लिए 24 दिसंबर तक की समय सीमा दी गई थी। इसके लिए 67 व्यावसायियों को नोटिस दिया गया था। इसमें से अधिकांश व्यावसायियों ने तय सीमा के बाद भी व्यवसाय नहीं हटाए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, नगरनिगम और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के लिए मंगलवार दोपहर को टीम बिरियाखेड़ी, मोहन नगर क्षेत्र में पंहुची। यहां से भी तीन कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान संचालक और परिवार एकत्रित हो गए। काम को भी रोक दिया।

सूचना मिलने पर सीएसपी हेमंत चौहान, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया मौके पर पंहुचे। रहवासियों ने चिल्लाचोट करते हुए कहा कि वे कई सालों से व्यापार कर रहे हैं और स्थान नहीं बदलेंगे। लोगों ने उनमें से किसी को कोविड न होने, अभी तक कोई आगजनी का घटना न होने का तर्क भी दिया। हालांकि एसडीएम, आयुक्त ने उन्हें जिला प्रशासन के आदेश मानकर नगर निगम की सीमा से बाहर जाने की बात समझाई। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के व्यवसाय से भविष्य में उनके परिवारों के लिए भी खतरा हो सकता है। काफी देर चले हंगामे के बाद अधिकारी वहां से लौट गए।

दबंग दुनिया 29/12/21

कबाड़ बीनने वालों ने घेरा विधायक का घर

रतलाम। शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बीच मंगलवार को जमकर विरोध देखा गया। बिरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान अधिकारियों के सामने विरोध जताने के बाद आक्रोशित कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एवं गोदाम संचालक स्टेशन रोड स्थित विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पहुंचे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जिला प्रशासन के कारण वह रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। एसडीएम की समझाइश के बाद महिलाएं और गोदाम संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मोहननगर क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था। शुरूआत हाट रोड स्थित कबाड़ दुकान हटाने के बाद मंगलवार को बिरियाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एकत्र हो गई और उन्होंने विरोध जताया। सूचना पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया एवं सीएसपी हेमंत चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं और गोदाम संचालक सहित उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में स्टेशन रोड विधायक निवास पहुंचे। विधायक काश्यप से मिलकर समस्या को अवगत कराने की जिद पर अड़े रहने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर एसडीएम गेहलोत पहुंचे तब उनसे कबाड़ गोदाम संचालकों ने कहा कि जैसे गोल्ड कॉम्पलेक्स बनाकर सराफा व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाएगा उसी तरह उन्हें भी निश्चित स्थान दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने रिहायशी इलाके से बाहर गोदाम बनाने की समझाईश दी।

अवन्तिका

अवन्तिका 29/12/21

वैध और अविकसित कॉलोनियों में सुविधाएं देने दिया 2 माह का समय

39 कॉलोनाइजरों की एसडीएम ने ली क्लास

जिन पर एफआईआर दर्ज वे बोले काम कर दिया, नपा केस वापस ले

रतलाम. जावरा में शहर की अवैध कॉलोनियों कॉलोनियों को वैध की श्रेणी में लाने के साथ अविकसित कॉलोनियों में विकास कार्यों की समीक्षा तथा वैध और विकसित हो चुकी कॉलोनियों को नपा में हेण्डओव्हर किए जाने को लेकर मंगलवार को नपा प्रशासक व एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने कॉलोनाईजरों की बैठक ली, बैठक में नपा सीएमओ दुर्गा बामनिया के साथ 39 कॉलोनाईजर मौजुद रहे।

एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि शहर की वैध और अविकसित कॉलोनी वासियों की शिकायतों पर मंगलवार को इन कॉलोनाईजरों के साथ बैठक की गई है। बैठक के दौरान जिन कॉलोनाईजरों ने अपनी कॉलोनियों में विकास कार्य कर दिए है, उनसे चर्चा की गई, वहीं जो कॉलोनियों वैध है, उन्हें नपा में हेण्ड ओव्हर करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। एसडीएम ने बताया कि 6 कॉलोनियों के हेण्डओव्हर को लेकर रतलाम प्रस्ताव भेज दिया था। बैठक 6 और कॉलोनाईजरों ने कार्य पूर्ण होने की बात कहते है कॉलोनी को नपा में हेण्डओव्हर करने हेतु मांग रखी।

दल करेगा भौतिक सत्यापन

एसडीएम ने बताया मंगलवार को जिन कॉलोनाईजरों ने उनकी कॉलोनी में विकास कार्य पूर्ण होने तथा नपा में हेण्ड ओव्हर करने के लिए कहा है, उन कॉलोनियो के लिए एक दल गठित किया जाएगा, दल कॉलोनी में कॉलोनीवासियों और कॉलोनाईजर की मौजुदगी में कार्यों का भौतिक सत्यापन करेगा साथ ही किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। कार्य संतोष जनक पाए जाने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका द्वारा गत सितम्बर 20 में शहर के 10 कॉलोनाईजरों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उन कॉलोनाईजरों ने मंगलवार को हुई बैठक में कहा कि कॉलोनी के अधुरे काम पूर्ण हो चुके है, जिस पर अब नगर पालिका अपना प्रकरण वापस ले ले। एसडीएम ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में प्रकरण वापस नहीं हो सकता है, अब कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वहीं मानना होगा। पत्रिका

पत्रिका 29/12/21

अवैध व अनुमति के विपरीत निर्माण हेतु इंजीनियर होंगे जवाबदार

लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्त हुए निगम आयुक्त

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगरीय क्षेत्र रतलाम अवैध व भवन निर्माण अनुमति के विपरित निर्माण पाये जाने पर वार्ड उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री की जवाबदेही निश्चित करते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आदेशित किया है कि भविष्य में भवन अनुज्ञा तथा अवैध निर्माण से संबंधी सिर्फ वो ही प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे जिनमें निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक होगी।

नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण या दी गयी भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण होने की शिकायतें लगातार आती रहती है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वार्डो के उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अपने कर्तव्य का पालन कर्तव्य निष्ठा से नहीं कर रहे है यह स्थिति स्पश्ट रूप से कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता है जो कि आपत्तिजनक होने के साथ ही अनुशासन हीनता की श्रेणी में है।

अधिकारी हुए नियुक्त

रतलाम नगरीय क्षेत्र में ऑन लाईन भवन अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु सभी वार्डो के उपयंत्रियों को भवन निरीक्षक तथा प्रभारी सहायक यंत्री श्याम सोनी को भवन अधिकारी नियुक्त किया गया है। २१५

राजएक्सप्रेस २९/१२/१२

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

प्रदेश में कोरोना को लेकर फिलहाल नए प्रतिबंध नहीं

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर मौजूदा हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और फिलहाल नए प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों की मंगलवार को यहां उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की और अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के अन्य कोई प्रतिबंध फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5.00 बजे तक जारी रहेगा। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 275 के आसपास हो गए हैं और इंदौर में ओमिक्रॉन वैरिएंट के तीन सक्रिय मामले हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। अन्य सभी कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो, इसके प्रयास किए जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन लोग सतर्क रहें। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

यथावत चलते रहेंगे सभी कार्यक्रम और आर्थिक गतिविधियां

तीन जनवरी से शुरु होगा 15 पार किशोरों का वैक्सिनेशन

श्री चौहान ने कहा कि 15 से 18 वर्षो के बच्चो को वैक्सिनेशन कार्यक्रम का अभियान चलेगा। बुजुर्गो के वैक्सिनेशन को भी गति दी जाएगी। उन्होने कहा कि आगामी एक जनवरी से कोविन एप/कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरु होगा, 15 से 18 वर्ष के किशोरो का कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद तीन जनवरी से टीकाकरण शुरु होगा। किशोरो को केवल को-वैक्सीन ही लगाई जाएगी। बैठक मे बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन एप/कोविन पोर्टल पर आधार के अलावा 9 अन्य दस्तावेजो मे एक का प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल का परिचय पत्र भी मान्य होगा।ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने पर रिफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड मिलेगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर यह रिफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड बताना होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी किशोर पंजीयन करवा सकते हैं।

मप्र बना 90 फीसदी लोगों को दूसरा डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्य मे 90 प्रतिशत नागरिको को कोविड 19 का दूसरा डोज लगाए जाने पर प्रदेश के नागरिकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ को हार्दिक बधाई दी है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने आज फिर कोविड टीकाकरण के मामले मे एक और अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 90 प्रतिशत नागरिको को कोविड 19 का द्वितीय डोज लगाया जा चुका है। उन्होने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रदेश के नागरिको, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियो, स्वयंसेवी संस्थाओ और जनप्रतिनिधियो को हार्दिक बधाई दी है। श्री चौहान ने कहा कि कोविड टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का एक मात्र उपाय है। संपूर्ण टीकाकरण तक जिंदगी बचाने का कार्य अनवरत जारी रहेगा। टीकाकरण के इस अभियान मे आप भी सहभागिता सुनिश्चित करें। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आज ही अपने नजदीकी टीकाकरण पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं।

२१५

राज एक्सप्रेस २९/१२/२१

त्रिवेणी मेले में झमेला • कलेक्टर की रोक के बाद भी संत नगर के निजी प्लॉटों पर मेले के लिए दुकानें आवंटित

नगर निगम के मेले में निजी जमीन पर लग रहा नया मे

बिजली कंपनी निगम से करेगी चर्चा कनेक्शन दिया जाए या नहीं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

त्रिवेणी मेले में नया झमेला सामने आया है। नगर निगम प्रशासन ने मेले में करीब 400 दुकानें आवंटित की हैं। इधर, मेला क्षेत्र में संत नगर स्थित निजी जमीन पर पिंटू पहलवान ने अपने स्तर पर दुकानों के लिए मेला प्लॉट आवंटित कर दिए हैं। इन प्लॉटों पर दुकानदारों ने स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है। दो दिन पहले जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अफसरों ने मेला स्थल का निरीक्षण किया था। उन्होंने निर्देश दिए थे कि संत नगर की रोड की दोनों साइड दुकानें ना लगाए, जो दुकानें लगाई जाए वो सिर्फ त्रिवेणी गेट के अंदर और मेला ग्राउंड में लगाई जाए।

अफसरों के निर्देशों के बावजूद एक पहलवान ने संत नगर के खाली प्लॉटों पर मेले के लिए दुकानें आवंटित कर दी। कई दुकानदारों ने तो दुकानें लगाना शुरू कर दी है। चूंकि कलेक्टर के आदेश थे। इस पर नगर निगम के मेले के लाइट के ठेकेदार ने दुकानों को लाइट देने से मना कर दिया। तो संबंधित ने बिजली कंपनी को अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है।

चूंकि मेला नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। दुकानें आवंटित करने का अधिकार नगर निगम का है। बावजूद यहां प्राइवेट लैंड पर मेला कारोबारियों को दुकानें आवंटित कर दी है।

नगर निगम की सहमति पर ही दिया जाएगा कनेक्शन

त्रिवेणी गेट के बाहर संत नगर में मेला दुकानदारों को आवंटित किए प्लॉट।

शहर कार्यपालन य
प्रतापसिंह ने बताय
कनेक्शन का आवे
है। नगर निगम से
है। यदि नगर निगम
सहमति दी जाएगी
दिया जाएगा। अन्
कनेक्शन दिया जा
संबंध में पिंटू पहल
नंबर 90099495
कॉल किया तो उन
नहीं हो पाया।

मेले में छोटी बड़ी मिलाकर 400 दुकानें रहेगी

नगर निगम ने मेले में 200 से ज्यादा प्लॉटों का आवंटन किया है। इ
चकरी, मनिहारी सहित अन्य दुकानें हैं। इसके अलावा ठेला गाड़ी औ
दुकानदारों को मिलाकर 400 दुकानें लगेगी। कोरोना के बाद पहली ब
लग रहा है। इससे इस बार मेले में अभी से भीड़ उमड़ना शुरू हो गई

भास्कर

दै. भास्कर 29/12/21

जैन मंदिर, बस स्टैण्ड क्षेत्र से हटाए अतिक्रमण

निगम ने चलाई मुहिम, कबाड़ व ज्वलनशील वस्तुओं के गोदामों को करेंगे शहर के बाहर

रतलाम ● स्वदेश समाचार
काटजू नगर जैन मंदिर के पीछे से दर्जनों अतिक्रमण हटाए जाने के साथ ही सैलाना बस स्टैण्ड के पीछे राजबाई जीन बावड़ी पर कबाड़ गोडाउन हटाया गया साथ ही कोल डिपो से बड़ी मात्रा में कोयले को जब्ती में लिया गया। इसके अलावा पाटीदार टिम्बर मार्ट द्वारा नोटिस मिलने पर अपना गोडाउन स्वयं हटा लिया गया।

मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविष्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाए जाने हेतु दिए गए नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ सेंटर हटाए जा रहे हैं। विशेषकर ऐसे कबाड़ा व्यवसायी व ज्वलनशील पदार्थों के व्यवसायी जिन्होंने शासकीय भूमि कबाड़ सेन्टर व गोडाउन बनाकर कब्जा किया हुआ, उन पर

प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। वेदव्यास कॉलोनी क्षेत्र में लच्छू कबाड़ी के 10 हजार स्क्वेयर फीट के गोडाउन को हटाने के साथ ही हाट रोड क्षेत्र से 2 कबाड़ियों के गोडाउन हटाए गए। नगर निगम द्वारा गोडाउन नहीं हटाए जाने पर संबंधितों से 15 हजार रुपए प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाएगी।

श्री झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे व्यापारी जिन्होंने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनशील पदार्थ कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिए हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटाए हैं वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्वदेश

अवैध व निर्माण अनुमति के विपरीत निर्माण हेतु इंजीनियर होंगे जवाबदार

रतलाम ●नगरीय क्षेत्र रतलाम अवैध व भवन निर्माण अनुमति के विपरित निर्माण पाए जाने पर वार्ड उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री की जवाबदेही निश्चित करते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आदेशित किया है कि भविष्य में भवन अनुज्ञा तथा अवैध निर्माण से संबंधी सिर्फ वो ही प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे जिनमें निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक होगी। नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण या दी गई भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण होने की शिकायतें लगातार आती रहती है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वार्डों के उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अपने कर्तव्य का पालन कर्तव्य निष्ठा से नहीं कर रहे है यह स्थिति स्पष्ट रूप से कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता है, जो कि आपत्तिजनक होने के साथ ही अनुशासन हीनता की श्रेणी में है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रदान किए जाने हेतु सभी वार्डों के उपयंत्रियों को भवन निरीक्षक तथा प्रभारी सहायक यंत्री श्याम सोनी को भवन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

स्वदेश 29/12/21

बिरियाखेड़ी से ज्वलनशील पदार्थ के 4 गोडाउन हटाये, 1 ने स्वयं हटाया

प्रसारण न्यूज • रतलाम

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत के निर्देशन में बिरियाखेड़ी से ज्वलनशील पदार्थ के गोडाउन हटाये जाने की कार्यवाही के तहत बिरियाखेड़ी क्षेत्र में मोहम्मद युसुफ-मोहम्मद रफीक, शांतिलाल-बुद्धाजी, अब्दुल शकुर-नाहर शाह, बानो बी-मोहम्मद शेख के गोडाउन हटाये गये कार्यवाही के दौरान मुबारिक खान-शकीर खान ने अपना गोडाउन स्वयं हटा लिया। इसी तरह मोहन नगर क्षेत्र में गोडाउन हटाने की कार्यवाही के दौरान निसार व 2 अन्य ने अपने गोडाउन स्वयं हटा लिये।

रतलाम शहर में मोहन नगर व लकड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविश्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देषानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ सेंटर हटाये जा रहे है। विशेषकर ऐसे कबाड़ व्यवसायी व ज्वलनशील पदार्थो की व्यवसायी जिन्होंने शासकीय भूमि कबाड़ सेन्टर व गोडाउन बनाकर कब्जा किया हुआ उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जाएगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर द्वारा ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे व्यापारी जिन्होंने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनशील पदार्थ कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिए हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं, वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें, अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विधायक काश्यप के निवास पर पहुंचे कबाड़ बीनने वाले, एसडीएम ने समझाईश देकर लौटाया

रतलाम। शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बीच मंगलवार को जमकर विरोध देखा गया। बिरियाखेड़ी में कबाड़ गोदाम हटाने के दौरान अधिकारियों के सामने विरोध जताने के बाद आक्रोशित कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एवं गोदाम संचालक स्टेशन रोड स्थित विधायक चेतन्य काश्यप के निवास पहुंचे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि जिला प्रशासन के कारण वह रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। एसडीएम की समझाइश के बाद महिलाएं और गोदाम संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मोहननगर क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और कबाड़ की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था। शुरुआत हाट रोड स्थित कबाड़ दुकान हटाने के बाद मंगलवार को बिरियाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कबाड़ बिनने वाली महिलाएं एकत्र हो गई और उन्होंने विरोध जताया। सूचना पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया एवं सीएसपी हेमंत चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं और गोदाम संचालक सहित उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में स्टेशन रोड विधायक निवास पहुंचे। विधायक काश्यप से मिलकर समस्या को अवगत कराने की जिद पर अड़े रहने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर एसडीएम गेहलोत पहुंचे तब उनसे कबाड़ गोदाम संचालकों ने कहा कि जैसे गोल्ड कॉम्पलेक्स बनाकर सराफा व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाएगा उसी तरह उन्हें भी निश्चित स्थान दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने रिहायशी इलाके से बाहर गोदाम बनाने की समझाइश दी।

प्रसारण

प्रसारण 29/12/21

निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान तालाब में मिली अवैध मोटर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के अमृत सागर तालाब में हाल ही में झील संरक्षण का कार्य शुरू हुआ है। इसके बाद मंगलवार को निरीक्षण के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले को तालाब में पानी चोरी करते हुए सिचाई के लिए उपयोग हो रही अवैध रुप से पानी की मोटर सहित अन्य संसाधन को जब्त करने में सफलता मिली हैं। अब निगम अज्ञात के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करवाने जा रहा हैं।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह व अन्य झील संरक्षण योजना के काम का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान तालाब में मोटर चलने की आवाज आई। इसके बाद सहायक स्वास्थ्य अधिकारी व साथ चल रहे कर्मचारियों ने देखा तो पाया कि मोटर तालाब के अंदर है व इससे जुड़ा हुआ एक पाइप समीप के खेत में जा रहा है। इतना ही नहीं मोटर के पास ही उसको शुरू करने का स्टार्टर भी लगा हुआ है।

जब्त किया व पंचनामा बनाया

आयुक्त झारिया ने बताया कि इसके बाद सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सिंह ने कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे सामान जिसमे 5 हॉर्स पापर की मोटर, प्लास्टिक का लंबा पाइव व स्टार्टर शामिल हैं जब्त किया। अब पूरे मामले की पुलिस को सूचना देकर पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है। हालांकि नगर निगम के अमले को इसकी जानकारी नहीं मिली कि जिस व्यक्ति के खेत पर पानी चोरी कर सिचाई हो रही थी वो किसका है, इसलिए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

पत्रिका 29/12/21

कोरोना अलर्ट : विदेश से आए एक और युवक की रिर्पोट आई पाजिटिव, मेडिकल कालेज में किया गया शिफ्ट

रतलाम। शहर में विदेश से आया एक 40 वर्षीय युवक की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है । अभी तक शहर में तीन पाजिटिव केस मिले है और तीनों ही विदेश से लौटे है। आज पॉजिटिव मिले युवक को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है।

मेडिकल कॉलेज के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय युवक 4 दिन पूर्व कुवैत से आया है। कल युवक का सैंपल लिया गया था जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उक्त युवक बोहरा बाखल क्षेत्र का निवासी है। युवक की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अमले ने उसे मेडिकल कालेज शिफ्ट कर दिया है। युवक के घर को कंटेंटमेंट कर परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं।

शहर में अभी तक तीन मामले-एक बार फिर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलना शुरु है गए है। कल ही शहर के बाजार क्षेत्र में 39 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके पूर्व विदेश से लौटे एक और युवक की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी । कल महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे भी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है । मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है । उक्त तीनों मरीजों की विदेश से लौटने की हिस्ट्री है। तीनों मरीजों में अभी तक कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं।

एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव बोरीवाल ने बताया कि आज पाजिटिव आए युवक में भी कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। डा. बोरीवाल ने सभी से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने ,वैक्सीनेशन कराने और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने की अपील की है। इन्दौर

इन्दौर समाचार 29/12/21

कोरोना अलर्ट : विदेश से आए एक और युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटीव, मेडिकल कॉलेज में किया गया शिफ्ट

रतलाम। शहर में विदेश से आया एक 40 वर्षीय युवक की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ।अभी तक शहर में तीन पाजिटिव केस मिले है और तीनों ही विदेश से लौटे है। आज पॉजिटिव मिले युवक को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय युवक 4 दिन पूर्व कुवैत से आया है। कल युवक का सैंपल लिया गया था जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उक्त युवक बोहरा बाखल क्षेत्र का निवासी है। युवक की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अमले ने उसे मेडिकल कालेज शिफ्ट कर दिया है। युवक के घर को कंटेंटमेंट कर परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे है।

एक बार फिर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलना शुरु है गए है। कल ही शहर के बाजार क्षेत्र में 39 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके पूर्व विदेश से लौटे एक और युवक की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी । कल महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे भी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है । मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है ।

प्रसारण

प्रसारण 29/12/21

निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान तालाब में मिली अवैध मोटर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के अमृत सागर तालाब में हाल ही में झील संरक्षण का कार्य शुरू हुआ है। इसके बाद मंगलवार को निरीक्षण के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले को तालाब में पानी चोरी करते हुए सिचाई के लिए उपयोग हो रही अवैध रुप से पानी की मोटर सहित अन्य संसाधन को जब्त करने में सफलता मिली है। अब निगम अज्ञात के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करवाने जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह व अन्य झील संरक्षण योजना के काम का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान तालाब में मोटर चलने की आवाज आई। इसके बाद सहायक स्वास्थ्य अधिकारी व साथ चल रहे कर्मचारियों ने देखा तो पाया कि मोटर तालाब के अंदर है व इससे जुड़ा हुआ एक पाइप समीप के खेत में जा रहा है। इतना ही नहीं मोटर के पास ही उसको शुरू करने का स्टार्टर भी लगा हुआ है।

जब्त किया व पंचनामा बनाया

आयुक्त झारिया ने बताया कि इसके बाद सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सिंह ने कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे सामान जिसमे 5 हॉर्स पापर की मोटर, प्लास्टिक का लंबा पाइव व स्टार्टर शामिल है जब्त किया। अब पूरे मामले की पुलिस को सूचना देकर पुलिस प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है। हालांकि नगर निगम के अमले को इसकी जानकारी नहीं मिली कि जिस व्यक्ति के खेत पर पानी चोरी कर सिचाई हो रही थी वो किसका है, इसलिए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

पत्रिका 29/12/21